



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042023-245036
CG-DL-E-08042023-245036

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1596]

No. 1596]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

का.आ. 1675(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 129 (अ) तारीख 28-12-2022 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 09-01-2023 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा मेघालया राज्य में गुवाहाटी - शिलांग - सिलचर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची					
सी & आर डी ब्लोक : उमलिंग		जिला : री भोई	राज्य : मेघालय		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	रोंगसिकोंग	ए9/52	00	52	68
		ए9/53	00	03	94
		ए9/54	00	08	55
		ए9/55	00	00	85
		ए9/56	00	10	05
		ए9/57	00	06	20
		नाला	00	00	57
		ए10/58	00	60	10
		ए10/59	00	36	50
		ए10/60	00	18	05
		ए10/61	00	08	06
		ए10/62	00	47	31
		ए10/63	00	34	68
		ए10/64	00	25	13
2	मावपुन	बि39/239	00	15	85
		बि39/240	00	15	53
		बि39/241	00	45	27
		बि39/241/1	00	54	30
		बि40/241/2	00	05	21
		बि40/241/3	00	28	48
		बि40/241/4	00	14	22
		बि41/241/5	00	60	71
		बि41/241/6	00	09	94
		बि41/241/7	00	43	81
		बि41/241/8	00	05	81
3	नोंगपिरडेट	बि42/241/9	00	61	09
		बि42/241/10	00	02	77
		बि42/241/10ए	00	65	05
		उमतुंग नदी	00	16	34
4	डेंसोहमा- उद मावबसेइन	रोड	00	01	64
		बि43/241/11	00	32	07
		बि43/241/12	00	45	47
		बि43/241/13	00	27	08
		बि43/241/14	00	27	94
		बि43/241/15	00	15	01
		बि43/241/16	00	19	65
		बि43/241/17	00	25	59

		बि43/241/18	00	04	42
		बि43/241/19	00	23	41
		बि43/241/20	00	38	00
		बि43/241/21	00	09	76
5	मावबसेइन मावलौंग	बि45/241/22	00	35	03
		बि45/241/23	00	30	84
		बि45/241/24	00	00	55
		बि45/241/25	00	12	84
		बि45/241/26	00	20	93
		बि45/241/27	00	05	61
		बि45/241/28	00	14	47
		बि45-46/241/29	00	21	32
		बि46/241/30	00	17	58
		बि46/241/30ए	00	00	17
		बि46/241/31	00	07	37
		बि46/241/32	00	17	08
		बि46/241/33	00	09	48
		बि46/241/34	00	08	79
		बि46/241/35	00	04	16
6	मावबसेइन लुम्सोहलांग	बि46/241/36	00	17	82
		बि46/241/37	00	07	35
		बि46/241/38	00	02	55
		रोड	00	01	47
		बि46/241/39	00	20	20
		बि46/241/40	00	12	99
		बि46/241/41	00	13	34
		बि46/241/42	00	17	64
		बि46/241/43	00	11	07
		बि46/241/44	00	30	17
		रोड	00	00	90
		बि46/241/45	00	43	41
		बि46/241/46	00	25	88
		बि46/241/47	00	15	70
		रोड	00	01	22
		बि46/241/48	00	46	63
		बि46/241/49	00	10	69
		बि46/241/50	00	22	58
		बि46/241/51	00	16	37
		बि46/241/52	00	12	87
		बि46/241/53	00	25	49
		बि46/241/54	00	03	39
		उमतुंग नदी	00	08	45

[फा. सं. एल -14014/247/2022-जीपी-II (ई-45385)]

राकेश मिश्रा, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2023

S.O. 1675(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No. 129 (E) dated the 28-12-2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 09-01-2023, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati - Shillong - Silchar Section of North - East Natural Gas Pipeline in the state of Meghalaya by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

C & RD. Block : Umling		District:- Ri-Bhoi	State :- Meghalaya		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Rongsikong	A9/52	00	52	68
		A9/53	00	03	94
		A9/54	00	08	55
		A9/55	00	00	85
		A9/56	00	10	05
		A9/57	00	06	20
		Nala	00	00	57
		A10/58	00	60	10
		A10/59	00	36	50
		A10/60	00	18	05
		A10/61	00	08	06
		A10/62	00	47	31
		A10/63	00	34	68
		A10/64	00	25	13
		B39/239	00	15	85
2	Mawpun	B39/240	00	15	53
		B39/241	00	45	27
		B39/241/1	00	54	30
		B40/241/2	00	05	21
		B40/241/3	00	28	48
		B40/241/4	00	14	22
		B41/241/5	00	60	71
		B41/241/6	00	09	94

		B41/241/7	00	43	81
		B41/241/8	00	05	81
3	Nongpyrdet	B42/241/9	00	61	09
		B42/241/10	00	02	77
		B42/241/10A	00	65	05
		Umtung River	00	16	34
4	Diengsohma-Ud Mawbsein	ROAD	00	01	64
		B43/241/11	00	32	07
		B43/241/12	00	45	47
		B43/241/13	00	27	08
		B43/241/14	00	27	94
		B43/241/15	00	15	01
		B43/241/16	00	19	65
		B43/241/17	00	25	59
		B43/241/18	00	04	42
		B43/241/19	00	23	41
		B43/241/20	00	38	00
		B43/241/21	00	09	76
5	Mawbsein Mawlong	B45/241/22	00	35	03
		B45/241/23	00	30	84
		B45/241/24	00	00	55
		B45/241/25	00	12	84
		B45/241/26	00	20	93
		B45/241/27	00	05	61
		B45/241/28	00	14	47
		B45-46/241/29	00	21	32
		B46/241/30	00	17	58
		B46/241/30A	00	00	17
		B46/241/31	00	07	37
		B46/241/32	00	17	08
		B46/241/33	00	09	48
		B46/241/34	00	08	79
		B46/241/35	00	04	16
6	Mawbsein Lumsohlang	B46/241/36	00	17	82
		B46/241/37	00	07	35
		B46/241/38	00	02	55
		ROAD	00	01	47
		B46/241/39	00	20	20
		B46/241/40	00	12	99
		B46/241/43	00	11	07
		B46/241/44	00	30	17
		ROAD	00	00	90
		B46/241/45	00	43	41
		B46/241/46	00	25	88
		B46/241/47	00	15	70
		ROAD	00	01	22
		B46/241/48	00	46	63
		B46/241/49	00	10	69
		B46/241/50	00	22	58
		B46/241/51	00	16	37
		B46/241/52	00	12	87
		B46/241/53	00	25	49
		B46/241/54	00	03	39
		Umtung River	00	08	45

[F. No. L-14014/247/2022-GP-II) (E-45385)]

RAKESH MISHRA, Dy. Secy.